



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-14032023-244358
CG-DL-W-14032023-244358

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 10] नई दिल्ली, मार्च 5—मार्च 11, 2023, शनिवार/फाल्गुन 14—फाल्गुन 20, 1944
No. 10] NEW DELHI, MARCH 5—MARCH 11, 2023, SATURDAY/PHALGUNA 14—PHALGUNA 20, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
नई दिल्ली, 2 मार्च, 2023

का.आ. 318.—भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी III और श्रेणी IV कर्मचारी (सेवा के निबंधन और शर्तों का संशोधन) नियमावली, 1985 के नियम 13 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, यह निर्धारित करती है कि उक्त उप नियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, श्रेणी III और श्रेणी IV के प्रत्येक कर्मचारी को निम्नलिखित अवधि के बोनस के बदले में भुगतान, उनके वेतन के 15 प्रतिशत की दर से किया जाएगा:

- 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 की समाप्ति तक; और
- 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 की समाप्ति तक; और
- 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 की समाप्ति तक

[ई फा.सं. एम-16014/02/2022-बीमा-I]

विनोद कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

New Delhi, the 2nd March, 2023

S.O. 318.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 13 of the Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985, the Central Government hereby determine that, subject to other provisions of the said sub-rule, the payment in lieu of bonus for the following periods to every Class III and Class IV employee shall be at the rate of 15 percent of his/ her salary:

- i) From 1st day of April, 2018 and ending with 31st day of March, 2019; and
- ii) From 1st day of April, 2019 and ending with 31st day of March, 2020; and
- iii) From 1st day of April, 2020 and ending with 31st day of March, 2021.

[eF. No. M-16014/02/2022-Ins.I]

VINOD KUMAR, Under Secy.

विदेश मंत्रालय
(सी.पी.वी. प्रभाग)
नई दिल्ली, 3 मार्च, 2023

का.आ. 319.— राजनयिक और कंसुलीय अधिकारी (शपथ एवं फीस) के अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में वैधानिक आदेश।

एतद्वारा, केंद्र सरकार भारतीय उच्चायोग, ओटावा में श्रीमती नीतेश चौधरी, सहायक अनुभाग अधिकारी, को मार्च 03, 2023 से सहायक कांसुलर अधिकारी के रूप में कांसुलर सेवाओं का निर्वहन करने के लिए अधिकृत करती है।

[फा. सं. टी. 4330/01/2023(09)]

एस.आर.एच. फहमी, निदेशक (कांसुलर)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
(CPV DIVISION)

New Delhi, the 3rd March, 2023

S.O. 319.—Statutory Order in pursuance of clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and fees) Act, 1948 (41 of 1048), the Central Government hereby appoints Smt. Nitesh Chaudhary, Assistant Section Officer in the High Commission of India, Ottawa as Assistant Consular Officer to perform Consular services with effect from March 03, 2023.

[F. No. T. 4330/01/2023(09)]

S. R. H FAHMI, Director (Consular)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2023

का.आ. 320.—केंद्र ने सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में, सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में, S.O.67(E) दिनांक 07-01-2021, भारत के राजपत्र में दिनांक 07-01-2021 को प्रकाशित किया गया:-